उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2006)

THE UTTAR PRADESH PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) ACT, 2006

(U.P. Act No. 24 of 2006)

उत्तर प्रदेश निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2006]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 7 सितम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की तथा उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 8 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित हुआ।]

निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और फीस के नियतन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 10 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

लागू होना

2–यह अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं, पर लागू होगा।

परिभाषायें

3–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी ऐसी निजी शैक्षणिक व्यावसायिक संस्था से है जो राज्य सरकार से या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता वितरित करने वाली किसी निकाय से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता अंशतः या पूर्णतः प्राप्त कर रही हो;

(ख) "समिति" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्रवेश और फीस नियामक समिति से है;

(ग) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" का तात्पर्य किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा चलाये जा रहे किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा से है;

(घ) "फीस" का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भभी है से है;

(ङ) "सामान्य श्रेणी" का तात्पर्य और अर्थ किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था के स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से रखी गयी ऐसी सीटों से है जो प्रबन्धतंत्र श्रेणी में न हो;

(च) "प्रबन्धतंत्र श्रेणी" का तात्पर्य और अर्थ स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से रखी गयी ऐसी सीटों से होगा जो राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं के प्रबन्धतंत्र को आवंटित की गयी हों ;

---

1. उद्देश्य व कारण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखिये।

(छ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य नेशनल कमीशन फार माइनॉरिटी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स ऐक्ट, 2004 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन परिभाषित किसी अल्पसंख्यक से है;

(ज) "अल्पसंख्यक संस्था" का तात्पर्य किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित और राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किसी संस्था से है;

(झ) "निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था से है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित न हो;

(ञ) "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित किसी पाठ्यक्रम से है;

(ट) "व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था'' का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे किसी ऐसे कालेज या स्कूल या ऐसी संस्था चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय से है जो,–

(एक) किसी राज्यविश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जिसके अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित किसी समविश्वविद्यालय की घटक इकाई भी है;

(दो) राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे सक्षम सांविधिक निकाय जो व्यावसायिक शिक्षा विनियमित कर रही हो द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो।

(ठ) "स्वीकृत अंतग्रर्हण" का तात्पर्य और अर्थ किसी व्यावसायिक संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों की कुल संख्या से है;

(ड) "ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य भभारतीय प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक सिविल सेवा के किसी अधिकारी से है;

(ढ) "राज्य विश्वविद्यालय" का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से है;

(ण) "गैर-सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था से है जो सहायता प्राप्त संस्था न हो;

(त) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

अध्याय–2

समिति

संरचना, अनर्हता एवं कृत्य

4–(1) प्रवेश और फीस नियमन के लिये एक समिति होगी जिसका गठन ऐसी रीति से जो विहित की जाय, किया जायगा समिति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो राज्य सरकार का ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी राज्य विश्वविद्यालय या किसी समविश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो जिसे समिति का अध्यक्ष कहा जाएगा और उसमें वित्तीय या प्रशासनिक मामलों में अनुभव रखने वाले दो अन्य सदस्य भी होंगे।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगी।

(3) समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल इसकी अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष का होगा, तथा इसके पूर्व किसी कारणवश, किसी रिक्ति के प्रोद्भूत होने पर राज्य सरकार शेष कार्यकाल के लिये ऐसी रिक्ति को भभरेगी।

(4) समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

(5) किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्था से सम्बद्ध कोई व्यक्ति समिति का सदस्य होने के लिये अर्ह नहीं होगा।

(6) समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो राज्य सरकार की राय में समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिये अशोभनीय हो तो उसे उक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा दिया जायेगाः

परन्तु ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर दिये बिना राज्य सरकार द्वारा हटाया नहीं जाएगा।

(7) समिति यथाविहित रीति से स्वयं अपनी प्रक्रिया विरचित कर सकेगी।

(8) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था या किसी समविश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय से किसी विहित दिनांक तक ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी जो प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा उपबन्धित निर्धारित की जाने वाली फीस को अवधारित करने के लिए समिति को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो और इस प्रकार अवधारित फीस ऐसी अवधि तक विधिमान्य रहेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(9) यदि राज्य सरकार या समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ने इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है या वह इस अधिनियम की धारा 10 में यथा अवधारित फीस से अधिक ले रही है, तो वह सक्षम सांविधिक निकाय से ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता वापस लेने की सिफारिश कर सकेगी।

अध्याय–तीन

प्रवेश

पात्रता

5–किसी निजी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश की पात्रता ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

सीटों का आवंटन

6–(1)–राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से प्रबन्धतंत्र श्रेणी के अधीन सीटें आरक्षित कर सकती है।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं रहेगा।

प्रवेश की रीति

7–कोई गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था;

(क) सामान्य श्रेणी के अधीन किसी सीट के लिये प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीति से करेगी जैसी विहित की जाय।

(ख) प्रबन्धतंत्र श्रेणी के अधीन आरक्षित किसी सीट पर ऐसी रीति से प्रवेश दे सकेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा, किसी अधिसूचित आदेश के माध्यम से विहित की जाय।

सामान्य प्रवेश

8–सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के लिये प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीति से किया जाएगा जैसी विहित की जाय।

प्रवेश

9–(1) किसी सहायता प्राप्त संस्था या गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रत्येक प्रवेश इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाएगा और उसके उल्लंघन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य हो जाएगा।

(2) राज्य सरकार या समिति का यदि समाधान हो जाता है कि किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या नियमावली या राज्य द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में प्रवेश लिया है तो वह ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता को वापस लेने के लिये समुचित सांविधिक निकाय को सिफारिश कर सकती है।

अध्याय–चार

फीस का नियतन

कारक

10–(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी :–

(एक) व्यवसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप,

(दो) उपलब्ध अवसंरचना,

(तीन) व्यवसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिये आवश्यक, समुचित बचत,

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय,

(पांच) संस्था के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय,

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी :

परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

अध्याय–पाँच

प्रकीर्ण

अपील

11–(1) राज्य सरकार एक अपील प्राधिकरण नियुक्त करेगी जिसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, जिसके समक्ष समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या कोई व्यवसायिक संस्था ऐसे किसी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भभीतर अपील दाखिल कर सकती है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

12–इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले किसी लिखत में अर्न्तविष्ट उससे असंगत किसी बात, के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

13–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

14–(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकता है,

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) समिति का गठन और उसकी कार्यप्रणाली तथा निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा छात्रों से प्रभारित किये जाने वाले फीस के अवधारण की रीति या मानदण्ड;

(ग) व्यावसायिक संस्था द्वारा छात्रों से प्रभारित की जाने वाले फीस।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

15–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, बना सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही की संरक्षा

16–राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अपील प्राधिकारी या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

निरसन और अपवाद

17–(1) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2006

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

संविधान के तिरानवें संशोधन द्वारा राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और फीस के नियतन के लिए भी विधायन बनाया जाय। मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझाओं के आलोक में यह विनिश्चय किया गया है कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और फीस के नियतन और उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषय की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2006) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

———